भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 236

उत्तर देने की तारीखः 22.07.2025

कुडुबी समाज को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाना

236. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कुडुबी समाज को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव या सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कुडुबी समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के संबंध में कोई अध्ययन या परामर्श किया है; और

(घ) क्या सरकार का कुडुबी समाज को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): अनुसूचित जातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों की पहली सूची राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा जारी की जाती है। उसमें कोई भी अनुवर्ती संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने या उनसे बाहर करने तथा अन्य संशोधनों के लिए, अनुसूचित जातियों की विद्यमान सूची को संशोधित करने के लिए नृजातीय अध्ययन सहित एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा शुरू किया जाना होता है। कुडुबी समाज समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कर्नाटक सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

*****